से 2.2662 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 नारायणराम के हक वंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खाता संख्या 843 के खेत खसरा नंबर 2914/291 रकबा 0.8175 हैक्टेयर यथावत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 के हक वंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः मौजा झलालड़ के खेत खसरा नंबर 371/318 रकबा 4.5325 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को प्रतिवादी संख्या 2 नारायणराम पुत्र मुकनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं राजीनामा एवं ईकबालिया जवाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा झलालड़ के खेत खसरा नंबर 371/318 रकबा 4.5325 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को प्रतिवादी संख्या 2 नारायणराम पुत्र मुकनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं राजीनामा एवं ईकबालिया जवाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया किया जाता है।

1. वादी रामदेव बेरा के हक वंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा झलालड़ का खेत खसरा नंबर 371/318 रकबा 4.535 हैक्टेयर में से 2.2663 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर के हक वंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा झलालड़ का खेत खसरा नंबर 371/318 रकबा 4.535 हैक्टेयर में से 2.2662 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 नारायणराम के हक वंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खाता संख्या 843 के खेत खसरा नंबर 2914/291 रकबा 0.8175 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 के हक वंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. वैंक के रहन खसरान् के संवध में संवधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner